1	विभाग–	समाज कल्याण विभाग।
2	योजना का नाम –	''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना''
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमन्द, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति–रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म–समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/नीति के अनुसार ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' संचालित है।एक जोड़े पर कुल रूपया 35000–00 (रूपया पैतीस हजार मात्र) की धनराशि का व्ययभार होगा।
4	पात्रता की अर्हता–	(a)कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हों। (b)कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों। (c)आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो, कि लाभार्थी की स्थिति नितान्त दैयनीय एवं वंचित हो। (d)विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र मतदाता पहचान–पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। (e)अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़को (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु समस्त संलग्नकों सहित ऑफलाइन आवेदन, विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा।
6	लिंक वेबसाईट	http://swd.up.nic.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।